



न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र

राजस्व पुनरीक्षण प्रकरण क्र. :- 1705-III-14

श्रीमती इन्द्रा खरे पत्नी कालका प्रसाद खरे
निवासी वार्ड न. 08 , खरगापुर तह. खरगापुर
जिला टीकमगढ़ म.प्र

...पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

रामस्वरूप तनय शोभाराम शर्मा निवासी
खरगापुर तह. खरगापुर जिला टीकमगढ़

...अनावेदक

राजस्व पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50

म.प्र.भू.सं विरुद्ध आदेश अपर कलेक्टर टीकमगढ़

प्रकरण क्र. 28/दिसंबर आवेदन/2013-14 राजस्व

प्रकरण क्र. 49/अपील/2011-12 अनुविभागीय

अधिकारी बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ म.प्र आदेश

दिनांक 29-04-2014 जिसके अनुसार पुनरीक्षणकर्ता

का आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 30 म.प्र.भू.सं बाबत

स्थानान्तरण आवेदन निरस्त किया गया है।

महोदय,

पुनरीक्षणकर्ता की सादर निम्न प्रार्थना है कि :-

1- यह कि पारित आदेश अधीनस्थ न्यायालय नियम न्याय एवं विधि सिद्धांतों के भारी विपरीत है एवं स्थिर रहने योग्य नहीं है।

2- यह कि पुनरीक्षणकर्ता के हक में पारित नामान्तरण आदेश के विरुद्ध अनावेदक ने अपील अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की थी जिसके आधार से नामान्तरण पंजी क्र. 1 आदेश दिनांक 20-06-2008

101

नडा/14

1772

आज को प्राप्त

कोटे

3

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1705-तीन/2014

जिला टीकमगढ़

इन्द्रा विरूद्ध रामस्वरूप

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-03-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 28/बी-121/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 29-04-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 03-05-2019 को आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p>	<p>(आर.के.जैन) सदस्य</p> <p>05/3/2019</p>